हिमाचल प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग ।

संख्याः टी0पी0टी0–ए (3)–4 / 2013 तारीख शिमला–2, 18.11.2015

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम , 2015, के प्रारूप को, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख 24–09–2015 द्वारा, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्याक 59) की धारा 212 की उप–धारा (1) के अधीन यथापेक्षित के अनुसार इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप(पों) या सुझाव (वों) / आमन्त्रित करने के लिए, तारीख 26–09–2015 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया गया था ;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर इस निमित्त एक ही आक्षेप / सुझाव प्राप्त हुआ था जिस पर सम्यक रूप से विचार किया गया ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम संख्यांक 59) की धारा 212 के साथ पठित धारा 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विभाग की अधिसूचना संख्याः 5–24 / 88–टी0पी0टी.–III तारीख 12 जुलाई , 1999 द्वारा राजपत्र, (असाधारण), हिमाचल प्रदेश में तारीख 27 जुलाई , 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं ; अर्थात् :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ । 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश मोटर यान (संशोधन) नियम , 2015 है ।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगें ।

नियम 69–ख का प्रतिस्थापन। 2. हिमाचल प्रदेश मोटर यान नियम, 1999 के नियम 69–ख के के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:–

"69–ख–रजिस्ट्रीकरण चिन्हों (नम्बरों) के आबंटन के लिए विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस – हिमाचल प्रदेश राज्य में, समस्त रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा, केन्द्रीय मोटर यान नियम , 1989 के नियम 81 के अधीन मोटरयानों

-2/...

के निम्नलिखित रजिस्ट्रीकरण चिन्हों (नम्बरों) के आबंटन के लिए विहित रजिस्ट्रीकरण फीस के अतिरिक्त निम्नलिखित दरों पर विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित की जाएगी, अर्थात् :–

क्रम संख्या	विशेष रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर)	विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस
1.	0001 से 0010 (आरक्षित)	₹ 1,00,000 (एक लाख)
2.	0011 से 0100	₹ 1,00,000 (एक लाख)
3.	0101 से 0999 के बीच के विशिष्ट (फैन्सी) नम्बर, अर्थात् :– 0101 0111 0200 0201 0222 0251 0300 0303 0333 0400 0444 0500 0501 0505 0555 0600 0666 0700 0777 0786 0800 0888 0900 0999	₹ 25,000 (पच्चीस हज़ार)

4. 1000 से 9999 के बीच के विशिष्ट (फैन्सी) नम्बर, अर्थात्:– ₹ 5,000 (पांच हज़ार)

1000
1001
1111
2000
2001
2222
3000
3333
4000
4444
5000
5001
5555
6000
6666
7000
7777
8000
8888
9000
9999

परन्तु क्रम संख्या 1 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर) सरकार के स्वामित्वाधीन मोटर यानों के लिए आरक्षित होगें और सम्बद्ध सरकारी अभिकरण द्वारा ₹ 1,00,000/– (एक लाख रूपए केवल) के नियत प्रभार के संदाय के पश्चात् ही आबंटित किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि क्रम संख्या 2, 3 और 4 के सामने विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर) पूर्णतः समादत्त नम्बर होंगे और पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आंबटित किए जाएंगे :

परन्तु यह और कि यदि कोई मोटरयान दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और बीमा कम्पनी द्वारा सम्यक् रूप से पूर्ण क्षति प्रमाणित की जाती है , तो उक्त मोटरयान के स्वामी से , नए यान के लिए उसी नाम से जिस नाम से पूर्वतर यान रजिस्ट्रीकृत था, उसी रजिस्ट्रीकरण नम्बर हेतु विनिर्दिष्ट विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करना अपेक्षित नहीं होगा :

परन्तु यह और कि स्वामी , ऐसे पुराने यान के विक्रय या उसकी स्क्रैपिंग हो जाने के पश्चात् अपने यान का केवल तब ही रजिस्ट्रीकरण नम्बर रख सकेगा जब उसे

रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा नया रजिस्ट्रीकरण नम्बर पुनः आंबटित कर दिया गया हो । पहला नम्बर (प्राइमरी) यदि अभ्यर्पित कर दिया जाता है तो वह रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी की सुरक्षित अभिरक्षा में रहेगा और पूर्ववर्ती स्वामी ऐसे अभ्यर्पण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर अपने नए यान के लिए वही रजिस्ट्रीकरण चिन्ह (नम्बर) आबंटित कराने का हकदार होगा । नए यान को उक्त रजिस्ट्रीकरण नम्बर आंबटित करने के लिए ऐसे पूर्ववर्ती स्वामी से कोई विशेष रजिस्ट्रीकरण फीस प्रभारित नहीं की जाएगी । यदि यान का ऐसा पूर्ववर्ती स्वामी एक वर्ष की अवधि के भीतर नए यान के लिए वही नम्बर आबंटित करवाने में असफल रहता है तो उक्त नम्बर सरकार को अभ्यर्पित किया गया समझा जाएगा और सम्बद्ध रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी उस नम्बर को इन नियमों के उपबंधों के अनुसार किसी अन्य आवेदक को आबंटित करने के लिए स्वंतत्र होगा "।

आदेश द्वारा,

(अजय मित्तल)
अतिरिक्त मुख्य सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
दूरभाष नं0–0177–2621877

पृष्ठांकन संख्याः यथोपरि । तारीख शिमला–2, 18.11.2015

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतू सूचनार्थ प्रेषित की जाती हैः–

1. सचिव, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, शिमला–02 ।
2. निजि सचिव, मुख्य मन्त्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–02 ।
3. निदेशक, परिवहन, हिमाचल प्रदेश शिमला–04 ।
4. प्रबन्ध निदेशक, हिमाचल पथ परिवहन निगम, शिमला–03.
5. सचिव, राज्य परिवहन प्राधिकारण हिमाचल प्रदेश शिमला–04 ।
6. विधि परामर्शी एवं प्रधान सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला–02 ।
7. समस्त पंजीयन एंव अनुज्ञापन प्राधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
8. समस्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ।
9. गार्ड नस्ति ।

(नरेश ठाकुर)
संयुक्त सचिव (परिवहन)
हिमाचल प्रदेश सरकार ।
दूरभाष नं0–0177–2628501

(Authoritative English text of this Department Notification No.TPT-A(3)-4/2013 dated 18.11.2015 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Transport

No. TPT-A (3)-4/2013 Shimla-2, dated 18.11.2015.

NOTIFICATION

Whereas, the draft Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015 were published in the Rajpatra Himachal Pradesh on 26.09.2015 vide this Department notification of even number dated 24.09.2015 for inviting objection(s) or suggestion(s) from the persons likely to be affected thereby as required under sub-section(1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988(Act No. 59 of 1988);

And, whereas, one objection/suggestion has been received in this behalf within the specified period, which was duly considered;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 211 read with section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act No. 59 of 1988), the Governor, Himachal Pradesh proposes to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, published in Rajptra (Extra-ordinary), Himachal Pradesh, Dated 27th July, 1999 vide this department notification no. 5-24/88-TPT-III dated 12th July, 1999, namely:-

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Himachal Pradesh Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force from the date of publication in Rajpatra, Himachal Pradesh.

Substitution of rule 69-B**:**

2. For rule 69-B of the Himachal Pradesh Motor Vehicles Rules, 1999, the following rule shall be substituted, namely:-

"69**-**B, Special Registration Fee for allotment of registration marks:-There shall be charged a Special Registration Fee, in addition to the registration fee, prescribed under rule-81 of the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for allotment of the following registration marks to the Motor Vehicles by all Registering and Licensing Authorities in the State

-2/…

of Himachal Pradesh, at the following rates, namely:-

Sr. No.	Special Registration Mark	Special Registration Fee
1	0001 to 0010 (reserved)	₹ 1,00,000 (One Lac)
2	0011 to 0100	₹ 1,00,000 (One Lac)
3	Fancy numbers between 0101 to 0999 i.e 0101 0111 0200 0201 0222 0251 0300 0303 0333 0400 0444 0500 0501 0505 0555 0600 0666 0700 0777 0786 0800 0888 0900 0999	₹ 25,000 (Twenty Five Thousand)
4	Fancy numbers between 1000 to 9999 i.e 1000 1001 1111 2000 2001 2222 3000 3333 4000 4444 5000 5001 5555 6000 6666 7000 7777 8000 8888 9000 9999	₹ 5,000 (Five Thousand)

Provided that registration marks specified against Sr. No. 1 shall be reserved for the motor vehicles owned by the Government and shall be allotted only after the payment of fixed charge of ₹ 1,00,000/- (Rs One lac only) by the concerned Government Agency:

Provided further that the registration marks specified against Sr. No. 2,3 and 4 shall be totally paid numbers and shall be allotted on first come first serve basis:

Provided further that in case of any motor vehicle meets with an accident and is a total loss duly certified by the Insurance Company, the owner of the said motor vehicle shall not be required to pay the special registration fee specified for the same registration number for a new vehicle in the same name in whose name the earlier vehicle was registered:

Provided further that the owner may retain the registration mark of his vehicle, after the sale or scrapping of such old vehicle only when the same is re-assigned a new registration mark by the Registering and Licensing Authority. The primary number, if vacated, shall remain in safe custody of the Registering and Licensing Authority and the previous owner shall be entitled to get the same registration mark assigned to his new vehicle within a period of one year from the date of such surrender. For assigning the said registration mark to the new vehicle, no special registration fee shall be charged from such previous owner. In case such previous owner of vehicle fails to get the same number assigned to a new vehicle within a period of one year, the said number shall be deemed to have been surrendered to the Government and the concerned Registering and Licensing Authority shall be at liberty to assign that number to any other applicant in accordance with the provisions of these rules".

By Order

(Ajay Mittal)
Additional Chief Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh
Telephone No. 0177-2621877

Endst No. TPT-A(3)-4/2013 Dated: Shimla-2 18-11 -2015
Copy for information and necessary action to:-

1. The Secretary to the Governor, Himachal Pradesh, Shimla-2.
2. P.S to the Chief Minister, Himachal Pradesh, Shimla-2.
3. The Director of Transport, Himachal Pradesh, Shimla-4.
4. The Managing Director, H.R.T.C, Himachal Pradesh, Shimla-3 .
5. The Secretary, State Transport Authority, H.P., Shimla-4.
6. The LR-cum-Pr. Secretary (Law), to the Government of H.P., Shimla-2
7. All Regional Transport Officers of Himachal Pradesh.
8. All the SDMs (RLAs) in Himachal Pradesh.
9. Guard File .

(Naresh Thakur)
Joint Secretary (Transport) to the
Government of Himachal Pradesh
Telephone No. 0177-2628501